संख्या-12/2018/603/चालीस-2018-20(01)/2018

प्रेषक

IR;Un fl g]

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त

उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2018

विषय: अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरूस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय

उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधित विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, **2010** तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/- (रूपये पचार हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/ चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, **2013** में दी गई शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 10,00,000/-(रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल को रू0 27,500/-(रूपये सत्ताइस हजार पॉच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0 4,95,000/-(रू0 चार लाख पन्चानबे हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गई शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का आहरण करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- उपर्युक्त से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, **800-**अन्य व्यय **-13-** अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018**,-231/2018,** दिनांक 30 मार्च**, 2018** द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

lR;Un flg
सचिव ।

संख्या-12/2018/603(1)/चालीस-2018-तददिनांक।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
5- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-1/** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग**-9,** उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

lR;Un flg
सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।